

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चोमू, जिला जयपुर**

आसीन अधिकारी :- हर्षित वर्मा

दिनांक: 07/2021

**उनवान**

1. कृष्णाकान्त पुत्र श्री नन्दकिशोर
2. शशिकान्त पुत्र श्री नन्दकिशोर
3. विगला देवी पत्नी श्री नन्दकिशोर
4. अन्नपूर्णा पत्नी श्री शशिकान्त

रामस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मण्डा भिण्डा तहसील चोमू जिला जयपुर।

—वादीगण

**बनाम**

1. बनवारीलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल
2. बामूलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल
3. रामेश्वरी पत्नी श्री कन्हैयालाल  
रामस्त जाति खाती (जागिड ब्राह्मण) निवासी ग्राम मण्डा भिण्डा तहसील चोमू जिला जयपुर।
4. आंघी देवी पत्नी श्री प्रहलाद  
रामस्त जाती अहीर, निवासी ग्राम मण्डा भिण्डा, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चोमू जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चोमू, जिला जयपुर।
7. ओरीयन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (वर्तमान नाम पंजाब नेशनल बैंक), जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कालाडेश तहसील चोमू जिला जयपुर।
8. ओरीयन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (वर्तमान नाम पंजाब नेशनल बैंक), जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चोमू तहसील चोमू जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

**वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

निर्णय दिनांक:- 18.04.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 08.11.2021 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चोमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चोमू से कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 18.04.2022 प्राप्त हो चुके हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 18.04.2022 के अनुसार डिक्री करने पर लिखित सहमति जाहीर की गई। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 18.04.2022 के अनुसार दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा तहसीलदार तहसील चोमू से प्राप्त कुरेजात के अनुसार वादी वाद अन्तिम डिक्री करवाये जाने के लिए निवेदन किया। अतः वादी का वाद तहसीलदार चोमू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 18.04.2022 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पत्रावली के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खाता संख्या 3 के आराजी खसरा नम्बर 887 रकबा 0.63 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.63 है0 व आराजी खाता संख्या 4 का खसरा नम्बर 550/1658 रकबा 0.14 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.14 है0 एवं आराजी खाता संख्या 5 के खसरा नम्बर 885/1488 रकबा 0.59 हैक्टेयर,

उपखण्ड अधिकारी  
चोमू, जिला जयपुर

खसरा नम्बर 886 रकबा 0.39 हैक्टयेर, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.89 हैक्टयेर भूमि वाके  
ग्राम मण्डा गिण्डा पटवार हल्का मण्डा गिण्डा तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित है जिसका  
मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया  
जाता है।

1. अन्नपूर्णा पत्नी शशिकान्त हिस्सा 1257/7600, शशिकान्त पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 41/1520, कृष्णकान्त पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 17/1900, विमलादेवी पत्नी नन्दकिशोर हिस्सा 607/760 जाति ब्राह्मण सा०देह को खसरा नम्बर 885/1488 रकबा 0.50 हैक्टयेर किस्म बाराणी 3, खसरा नम्बर 886/1 रकबा 0.26 हैक्टयेर किस्म चाही 2(0.02है०) जाव 2 (0.24 है०), कुल किता 02 का कुल रकबा 0.76 हैक्टयेर, जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. आंचीदेवी पत्नी प्रहलाद जाति अहीर सा० देह राहिन ओ०वी०सी० शाखा चौमू मूर्तहीन को खसरा नम्बर 886/2 रकबा 0.13 हैक्ट किस्म चाही 2, खसरा नम्बर 887/1 रकबा 0.25 है० किस्म जाव 2, कुल किता 02 का कुल रकबा 0.38 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. बनवारी लाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/3 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा चौमू, बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/3 राहिन ओ०वी०सी० शाखा चौमू, रामेश्वरी पत्नी कन्हैयालाल हिस्सा 1/3 जाति जांगीड ब्राह्मण सा०देह को खसरा नम्बर 887/1 रकबा 0.38 हैक्ट किस्म चाही 2(0.13है०) जाव 2 (0.25 है०), कुल किता 01 का कुल रकबा 0.38 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
4. आंचीदेवी पत्नी प्रहलाद हिस्सा 1/4 जाति अहीर सा० देह राहिन ओ०वी०सी० शाखा चौमू, बनवारी लाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/12 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा चौमू, बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/12 राहिन ओ०वी०सी० शाखा चौमू, रामेश्वरी पत्नी कन्हैयालाल हिस्सा 1/12 जाति जांगीड ब्राह्मण सा०देह, अन्नपूर्णा पत्नी शशिकान्त हिस्सा 3/16, कृष्णकान्त पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 149/51552, विमलादेवी पत्नी नन्दकिशोर हिस्सा 13261/51552, शशिकान्त पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 75/1432 जाति ब्राह्मण सा०देह को खसरा नम्बर 550/1658 रकबा 0.14 हैक्ट किस्म गै०मु० सडक कुल किता 01 का कुल रकबा 0.14 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमू को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।

हर्षि क. अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी जयपुर  
उपखण्ड अधिकारी चौमू, जयपुर

**अन्तिम डिक्री मुकदमा इक्दादाई**

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जास्ता दीयानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व

अजलास हर्षित वर्मा आरएएस

1. कृष्णकान्त पुत्र श्री नन्दकिशोर
2. शशिकान्त पुत्र श्री नन्दकिशोर
3. विमला देवी पत्नी श्री नन्दकिशोर
4. अन्नपूर्णा पत्नी श्री शशिकान्त

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम मण्डा भिण्डा तहसील चौमू जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल
2. बाबूलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल
3. रामेश्वरी पत्नी श्री कन्हैयालाल  
समस्त जाति खाती (जांगिड ब्राह्मण) निवासी ग्राम मण्डा भिण्डा तहसील चौमू जिला जयपुर।
4. आंची देवी पत्नी श्री प्रहलाद  
समस्त जाती अहीर, निवासी ग्राम मण्डा भिण्डा, तहसील चौमू जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमू जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमू, जिला जयपुर।
7. ओरीयन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (वर्तमान नाम पंजाब नेशनल बैंक), जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कालाडेरा तहसील चौमू जिला जयपुर।
8. ओरीयन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (वर्तमान नाम पंजाब नेशनल बैंक), जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

**वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

**वाद अर्न्तगत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

मुकदमा नं0 67/2021

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू हर्षित वर्मा आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. अन्नपूर्णा पत्नी शशिकान्त हिस्सा 1257/7600, शशिकान्त पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 41/1520, कृष्णकान्त पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 17/1900, विमलादेवी पत्नी नन्दकिशोर हिस्सा 607/760 जाति ब्राह्मण सा0देह को खसरा नम्बर 885/1488 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म बाराणी 3, खसरा नम्बर 886/1 रकबा 0.26 हैक्टेयर किस्म चाही 2(0.02है0) जाव 2 (0.24 है0), कुल किता 02 का कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. आंचीदेवी पत्नी प्रहलाद जाति अहीर सा0 देह राहिन ओ0बी0सी0 शाखा चौमू मूर्तहीन को खसरा नम्बर 886/2 रकबा 0.13 हैक्ट किस्म चाही 2, खसरा नम्बर 887/1 रकबा 0.25 है0 किस्म जाव 2, कुल किता 02 का कुल रकबा 0.38 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. बनवारी लाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/3 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा चौमू, बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/3 राहिन ओ0बी0सी0 शाखा चौमू, रामेश्वरी पत्नी कन्हैयालाल हिस्सा 1/3 जाति जांगिड ब्राह्मण सा0देह को खसरा नम्बर 887/1 रकबा 0.38 हैक्ट किस्म चाही 2(0.13है0) जाव 2 (0.25 है0), कुल किता 01 का कुल रकबा 0.38 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

उपखण्ड अधिकारी  
चौमू जिला जयपुर

आंचीदेवी पत्नी प्रहलाद हिस्सा 1/4 जाति अहीर सा0 देह राहिन ओ0वी0सी0 शाखा चौमू, बनवारी लाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/12 राहिन बैंक ऑफ वडौदा शाखा चौमू, बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/12 राहिन ओ0वी0सी0 शाखा चौमू, रामेश्वरी पत्नी कन्हैयालाल हिस्सा 1/12 जाति जांगीड ब्राह्मण सा0देह, अन्नपूर्णा पत्नी शशिकान्त हिस्सा 3/16, कृष्णकान्त पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 149/51552, विमलादेवी पत्नी नन्दकिशोर हिस्सा 13261/51552, शशिकान्त पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 75/1432 जाति ब्राह्मण सा0देह को खसरा नम्बर 550/1658 रकबा 0.14 हैक्ट किरम गै0मु0 सडक कुल कित्ता 01 का कुल रकबा 0.14 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

बसराव मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 18.04.2022 को जारी किया गया।



दस्तखत

ओहदा

मुद्रा	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	2		स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	4		मीजान	2	

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपरखण्ड अधिकारी  
चौमू जिला जाबपुर

मुक्त वाद में दिवसी  
 प्राविष्टा 20 के नियम 6 और 7)  
 न्यायालय उपसचिव अधिकारी, भीमू

(रीवासीन अधिकारी परमाणु गांवों के रांभ अधिकारी/ जेम्स कोर्ट)

अभिप्रेत करीबतः - राहुल जीन

उपसचिव

1. कुलाकर्ना पुत्र श्री नन्दकिशोर
2. शशिकान्त पुत्र श्री नन्दकिशोर
3. विमला देवी पत्नी श्री नन्दकिशोर
4. अन्नापूर्णा पत्नी श्री शशिकान्त

समस्त जाती ब्राह्मण निवासी ग्राम मण्डा मिण्डा तहसील भीमू जिला जयपुर।

---वादीगण

बनाम

1. रमवाहीराल पुत्र श्री कन्हैयालाल
2. बाबूलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल
3. समेश्वरी पत्नी श्री कन्हैयालाल

समस्त जाती खारी (जामिंद ब्राह्मण) निवासी ग्राम मण्डा मिण्डा तहसील भीमू जिला जयपुर।

4. आंघी देवी पत्नी श्री प्रहलाद  
समस्त जाती अहीर निवासी ग्राम मण्डा मिण्डा तहसील भीमू जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकर, जयपुर लेण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील भीमू जिला जयपुर।
6. उपसचिव महोदय, उपसचिव कार्यालय भीमू जिला जयपुर।
7. ओरीयन्टल बैंक ऑफ कर्नल (कर्णाल नाम पंजाब नेशनल बैंक) जयपुर शाखा प्रबंधक, शाखा कालादेरा तहसील भीमू जिला जयपुर।
8. ओरीयन्टल बैंक ऑफ कर्नल (कर्णाल नाम पंजाब नेशनल बैंक) जयपुर शाखा प्रबंधक, शाखा भीमू तहसील भीमू जिला जयपुर।

---प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 53 व 168 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम वाद बाबत  
 लकासभा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर - 67/2021

ये मुकदमा आज कास्ती इन्फिर्मिटी कई लकक वादी मिन जामिन मुदवाई सबक राहुल जीन आईएएस मिनजामिन मुददायलक पेश होकर हुस्य दिता जाला है व प्रथम दिवसी की जाती है कि विवादित भूमि आराजी खाता संख्या 3 के आराजी खाता नम्बर 887 रकबा 0.63 हेक्टेयर कुल विता 1 कुल रकबा 0.63 है 0 व आराजी खाता संख्या 4 का खाता नम्बर 850/1658 रकबा 0.14 हेक्टेयर, कुल विता 1 कुल रकबा 0.14 है 0 एवं आराजी खाता संख्या 5 के खाता नम्बर 895/1488 रकबा 0.50 हेक्टेयर, खाता नम्बर 888 रकबा 0.33 हेक्टेयर, कुल विता 2 का कुल रकबा 0.60 हेक्टेयर भूमि बाकें ग्राम मण्डा मिण्डा परतकर इत्यक मण्डा मिण्डा तहसील भीमू जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के दर्ज हिस्से अनुसार कब्जेकास्त की प्राथमिकता देते हुए मकानात/रहवास स्थापना इत्यादि को एकन में रखते हुए वाई मिन एण्ड बाउण्डस एवं सभी खातेदारों को कास्ती की सुविधा उपलब्ध करवाते हुए लकासभा किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिदे जाते है। वा दिवसी की प्रती पदसभाई तहसीलदार भीमू को भेजी जावे।


बसत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदायत के आज तारीख 08/11/2021 को जारी किया गया।

मोहर

उपसचिव  
 अधिकारी  
 भीमू जिला-जयपुर

मुदत	रुपये	पैसे	मुदाईला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा	2		स्टाम्प बकालतनामा	3	
स्टाम्प बजह समूल			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक	4		मुतफरिक		
मीजान			मीजान	3	

नोट—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

  
 उप खण्ड अधिकारी  
 चौमू जिला—जयपुर